(8)

II/अपील/सीधी/2018/0601

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

अपील प्र.क्र. .... / 2016–17

1. बैजनाथ सिंह पिता जगदेव सिंह उम्र–68 वर्ष
2. बाबादीन सिंह पिता जगदेव सिंह उम्र–71वर्ष
3. रामसाय सिंह पिता जगदेव सिंह उम्र–70वर्ष
4. जनार्दन सिंह पिता जगदेव सिंह उम्र–61 वर्ष
5. सुमान सिंह पिता सूर्यभान सिह उम्र–58 वर्ष
6. सूर्यदीन सिंह पिता सूर्यभान सिंह उम्र–38वर्ष
7. दइया विधवा पत्नी स्व. ज्ञानचंद्र सिंह (मृत) वारिसान–

7(क) रनमत सिंह पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह उम्र–48वर्ष

7(ख) हनुमत सिंह पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह (मृत) वारिसान–

7(ख)1. हीराबाई विधवा पत्नी स्व. हनुमत सिंह उम्र–48वर्ष

7(ख)2. सुशीला सिंह पुत्री स्व. हनुमत सिंह उम्र–19वर्ष

7(ख)3. रमेश सिंह पुत्र स्व. हनुमत सिंह उम्र–18वर्ष

7(ख)4. संदीप सिंह पुत्र स्व. हनुमत सिंह उम्र–16वर्ष

8. बुटइया पत्नी स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह उम्र–73 वर्ष
9. दुर्जन सिंह पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह उम्र–51वर्ष
10. समयपाल पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिह उम्र–48वर्ष
11. जोरसाय सिंह पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह उम्र–43वर्ष
12. शिवप्रसाद सिंह पिता स्व. ज्ञानचन्द्र सिंह उम्र–38वर्ष

सभी निवासी ग्राम–खजुरिहा, तहसील व थाना–मझौली, हाल पता ग्राम धुपखड़ छुहिया टोला, तहसील–पुराना गोपदबनास, हाल–मझौली / कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.) ——————अपीलार्थीगण / आवेदकगण

23-1-18

बनाम

1. वेचन सिंह पिता मुण्डुल सिंह उम्र–71वर्ष
2. वंशपति सिंह पिता मुण्डुल सिंह उम्र–68वर्ष
3. राजकुमार पिता पतिराज सिंह गोड़ उम्र–38वर्ष
4. पुष्पराज सिंह पिता वेचन सिंह गोंड़ उम्र–36वर्ष

सभी निवासी ग्राम–खजुरिहा, तहसील व थाना–मझौली, जिला सीधी (म.प्र.)

——————उत्तरवादीगण / अनावेदकगण

अपील आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय (पीठासीन अधिकारी डी.पी. वर्मन) सीधी, जिला–सीधी (म.प्र.) अपील प्रकरण क्रमांक–16 / अपील / 2013–2014 बैजनाथ सिंह वगैरह बनाम वेचन सिंह वगैरह आदेश दिनांक–27.11.2017

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

अपील के सूक्ष्म तथ्य

यह कि परीक्षण / अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदित भूमियां ग्राम–खजुरिहा, तहसील–मझौली, जिला–सीधी (म.प्र.) में स्थित आराजी क्रमांक–20 रकवा 0.49 एकड़, 183 रकवा 3.70 एकड़, 193 रकवा 0.11, 194 रकवा 1.18, 195 रकवा 0.44, 241 रकवा 0.19, 242 रकवा 1.82, 244 रकवा 0. 05, 245 रकवा 0.55, 296 रकवा 1.38, 339 रकवा 3.29, 338 रकवा 2.19, 345 रकवा 2.22 एकड़ की भूमियां वर्ष 1960–61 तक मान सिंह की मालिक काश्तकारर की भूमियॉ थीं जिनका वर्तमान मे आराजी क्र. 307 / 1 रकवा 0.05, 336 / 1 रकवा 0.34, 364 / 1 रकवा 0.02, 398 रकवा 0.23, 470 रकवा 0.08, 576 रकवा 0.68, 675 रकवा 0.90, 686 रकवा 0.85, 308 रकवा 0.29, 370 रकवा 0.12, 426 रकवा 0.15, 427 रकवा 0.13, 428 रकवा 0.22, 516 / 2 रकवा 0.36 हे0 बंशपति पिता मुडल गोड के नाम अंकित है। जब की परीक्षण / अधीनस्थ व प्रथम अपीलीय न्यायालय की अपीलाधीन भूमियां रीवा राज्य विन्ध प्रदेश में वर्ष 1922–23 व 1926–27 से लगायत वर्ष 1956–57 से वर्ष 60–61 तक अपीलार्थीगण / परीक्षण न्यायालय के आवेदकगण के पूर्वज

(4)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–अपील/सीधी/भू.रा./2018/601

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	अपील की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 16/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–11–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा किये गये प्रारंभिक तर्को के क्रम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, मझौली जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 2 सी–29/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20–3–2013 से आवेदकगण व्दारा म.प्र.. भू राजस्व संहिता की धारा 113 के अंतर्गत प्रस्तुत लेखन संबंधी त्रृटि का दावा निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–3–13 के विरूद्व प्रथम अपील अपर कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 16/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–11–2017 से अपील निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व यह द्वित्तीय अपील राजस्व मंडल,म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है। 3/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि मूल न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (उप खंड अधिकारी) व्दारा पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील कलेक्टर/अपर कलेक्टर को की जावेगी। कलेक्टर/अपर कलेक्टर व्दारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को की जावेगी। आयुक्त/अपर आयुक्त	

व्दारा द्वित्तीय अपील में पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु अपर कलेक्टर सीधी व्दारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 27–11–2017 के विरूद्व द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को प्रस्तुत न करते हुये सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है जो अग्राह्य एंव प्रचलन– योग्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य